राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. 3554 /SEIAA/2022
दिनांक: 24-3-22

प्रति,

श्री निशांत जायसवाल आत्मज श्री अरविंद जायसवाल
निवासी– भिकनगांव,
जिला खरगौन (म.प्र.) –451332

विषय:–प्रकरण क्र. 8810/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री निशांत जायसवाल आत्मज श्री अरविंद जायसवाल, निवासी– भिकनगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) –451332 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 152/1, ग्राम – मोहद, तहसील–झिरनिया, जिला – खरगौन (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 706वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 698 वी बैठक दिनांक 28.12.2021 के निर्णयानुसार एवं SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 तथा 545 वी बैठक दिनांक 29.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के एकल प्रमाण पत्र क्र 2177 दिनांक 17. 09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, सड़क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, चिकित्सालय इत्यादि नहीं होना बताया गया है एवं 150 मीटर पर नदी होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 15.02.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 15.02.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

Case No. 8810/2021